रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 1986/भाद्रपद 6, 1908
No. 344] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1986/BHADRA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1986

अधिसूचना

का.आ. 505(अ).—बालक नियोजन (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 62) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 28 अगस्त, 1986 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं. एस-27012/1/83-सी.एल.]
अशोक नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th August, 1986

NOTIFICATION

S.O. 505(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Employment of Children (Amendment) Act, 1985 (62 of 1985), the Central Government hereby appoints the 28th August, 1986, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. S-27012|1|83-CL]

ASHOK NARAYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986